कार्यालय नगर पालिक निगम, (बाजार/नजूल) रायपुर (छ.ग.)
फोन.न.:- 2535780, 90, फैक्स :- 0771-2227395
Website - www.nagarnigamraipur.noc.in

// निविदा आमंत्रण सूचना //

क्र. ..../बा.वि./न.पा.नि./2017 रायपुर, दिनांक ..../01/2017

नगर पालिक निगम, रायपुर मुख्यालय के बाजु स्थित पार्किंग की वसूली **01 फरवरी 2017 से 31 जनवरी 2018** तक के लिए बंद लिफाफे में **दिनांक** 17.01.2017 तक स्पीड़ पोस्ट के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार/संस्था निर्धारित अवधि में निविदा रायपुर शहर के किसी भी डाक घर के माध्यम से **17.01.2017** तक कार्यालयीन अवधि में नगर पालिक निगम रायपुर के बाजार विभाग में प्रस्तुत/जमा करा सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय अथवा नगर निगम के वेब साईज से प्राप्त कर सकते है। निम्नानुसार है :-

निविदादाता द्वारा लिफाफे के ऊपर पार्किंग का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जावें। निविदा पार्किंग के नाम से ही स्वीकार किया जावेगा।

समूह क्र.	पार्किंग का नाम	निविदा जमा करने का दिनांक एवं समय	निविदा खोलने का दिनांक	आफसेट दर	अमानती दर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	नगर निगम मुख्यालय उद्यान के बाजु रिक्त स्थल पर वाहन पार्किंग को ठेका कार्य	**17.01.2017 5.30 बजे**	**18.01.2017** सायं 04 बजे	100000.00	10000.00

// निविदा आवेदन पत्र का प्रारूप //

प्रति,

आयुक्त ,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमा के अंतर्गत चिल्हर सब्जी बाजार/ पार्किंग **(01 फरवरी 2017 से 31 जनवरी 2018 तक)** हेतु हमारी निविदा निम्नानुसार है :-

1. पार्किंग का नाम :- ....

2. आवेदक का नाम एवं पता :- ....
   दूरभाष नं. सहित ....

3. धरोहर राशि की बैंक डीडी :— अमानती राशि ....
आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर :— बैक का नाम एवं डीडी क्र. ....
के नाम से प्रस्तुत की जाये। दिनांक ....
4. प्रस्तुत निविदा की दर :— रूपये ....
शब्दों में ....
5. ठेका अवधि दिनांक **(01 फरवरी 2017 से 31जनवरी 2018 तक)**

मैंने नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा बतायी गयी सभी शर्तो को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लिया है तथा सभी शर्ते मुझे स्वीकार है। निगम की कोई राशि बकाया नहीं है।

निविदाकर्त्ता के हस्ताक्षर व नाम

---

6. निविदाएं निर्धारित प्रारूप में भर कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से रायपुर शहर स्थित किसी भी डाक घर के माध्यम से रायपुर में **दिनांक 17.01.2017** को कार्यालयीन अवधि तक जमा की जा सकेगी। निविदाए **17.01.2017** को सायं **4.00** बजे मुख्य कार्यालय बाजार विभाग नगर निगम रायपुर में सक्षम अधिकारियों के समक्ष खोली जावेगी।
7. प्रत्येक निविदा के साथ उस पार्किंग के लिए निर्धारित धरोहर/अमानती राशि की बैक डीडी आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न कर जमा करना होगा।
9. निविदाएं आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर को होगा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
10. निविदा के नियम व शर्ते एवं अन्य विस्तृत जानकारी बाजार विभाग, नगर पालिक निगम रायपुर मुख्य कार्यालय में तथा वेब साईड **WWW. nagarnigamraipur.nic.in** से प्राप्त की जा सकेगी। ठेके की अवधि **01 फरवरी 2017 से 31 जनवरी 2018 तक** के लिए होगी।
11. लिफाफे के ऊपर पार्किंग का नाम एवं दर दाता का नाम पूर्ण पता सहित होना चाहिए।
12. जिस दर दाता द्वारा अमानती राशि की डीडी निविदा प्रपत्र के साथ लिफाफे में नहीं पायी जायेगी। वह निविदा अस्वीकार की जावेगी।
13. पार्किंग को निगम द्वारा वित्तीय वर्ष **2017—18** में यदि कहीं पर व्यवस्थापित किया जाता है तो ठेकेदार को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
14. समय—समय पर निगम की जो शर्ते/नियम संशोधित होंगे या किसी कारणवश ठेका अवधि संशोधन की जायेगी दर दाता को मान्य करना होगा।
15. निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर आयकर की टी.सी.एस. (TCS) टैक्स की राशि (ठेका राशि का 02 प्रतिशत) ठेका राशि के साथ ठेका राशि के अतिरिक्त एक मुश्त जमा कराना होगा।
16. निविदा (बंद लिफाफा) में पार्किंग का नाम निविदादाता का नाम लिखकर आयुक्त नगर पालिक निगम मुख्य कार्यालय रायपुर के पते पर प्रेषित करें।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर

नगर निगम रायपुर में प्रचलित/संचालित पार्किंग के नीलामी नियम एवं शर्ते

// वित्तीय वर्ष 2017—18//

1. ठेके की अवधि **01 फरवरी 2017 से 31 जनवरी 2018 तक के** लिए निविदा निर्धारित प्रारूप में स्वच्छता से भरा जावे कांट—छांट होने पर निविदा अस्वीकार की जा सकेगी।
2. निविदा बंद लिफाफे में दी जावेगी तथा लिफाफे के ऊपर पार्किंग का नाम अवश्य ही लिखा जावे।
3. पार्किग वसुली की दरें निम्नानुसार होगी :—

(A) **वसूली की दरें निम्नानुसार है :—**

1.	साइकिल	02/—रू.
2.	मोपेड स्कूटर, मोटर साइकिल	05/—रू.
3.	कार, जीप,आटो, रिक्शा, ठेला	10/—रू.

4. ठेके की अवधि **01 फरवरी 2017 से 31 जनवरी 2018 तक** के लिए होगी, किन्तु निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त सभी शर्तो को अथवा कोई भी शर्तों को शिथिल कर सकेंगे। निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर ठेके की राशि एक मुश्त जमा करना होगा।
5. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को सूचना मिलने के तीन दिन के भीतर निविदा की सम्पूर्ण राशि जमा कर अनुबंध का निष्पादन स्वयं के व्यय पर कराना होगा।
6. किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में एक सप्ताह के भीतर संबंधित ठेकेदार निगम आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा। निगम आयुक्त का निर्णय सर्वमान्य होगा। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी
7. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शाई गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित ठेकेदार को जमा कराना होगा तत्पश्चात् ही उनकी अपील पर विचार होगा।
8. पार्किग का निरीक्षण नगर निगम के महापौर / सभापति / आयुक्त / उपायुक्त/राजस्व अधिकारी/सहायक राजस्व अधिकारी (बाजार)/बाजार निरीक्षक कभी भी कर सकते है। एवं स्थल में उनके द्वारा दिये गये निर्देश/सुझाव का पालन ठेकेदार को करना होगा।
9. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेगा यदि इसके अतिरिक्त कोई और प्रवेश करना चाहे तो उसे 200/— शुल्क जमा करना होगा। तदुपरांत ही उसे प्रवेश दिया जावेगा।
10. ठेकेदार जिन पर निगम की कोई राशि बकाया हो उनकी निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
11. यह कि निविदादाता को शासन/नगर पालिका निगम, रायपुर की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय—समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

12. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर किसी भी समय निविदा/अनुंबंध निरस्त कर दिया जावेगा तथा समस्त जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा निगम द्वारा अगले ही दिन विभागीय तौर पर पार्किंग की वसूली की जावेगी। विभागीय वसूली में प्राप्त राशि ठेका राशि से कम प्राप्त होने पर अंतर/कम राशि की वसूली संबंधित ठेकेदार से नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अध्याय 12 के तहत वसूली की जावेगी।

13. निविदाएं स्वीकृत करने/नियम एवं शर्तो को शिथिल करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिका निगम रायपुर को होगा।

14. निविदाएं निविदा खुलने के नियत तिथि/समय के पूर्व स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य डाक घर रायपुर में दिनांक **17.01.2017** को कार्यालयीन समय तक जमा की जावेगी। निविदा प्रपत्र के साथ ठेका हेतु निर्धारित अमानती राशि की बैंक डीडी आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम बनाकर प्रस्तुत करना होगा। एवं निविदा लिफाफा के ऊपर पार्किंग का नाम एवं दरदाता का नाम पूर्ण पता सहित लिखना आवश्यक होगा।

15. पार्किंग को निगम द्वारा वित्तीय **वर्ष–2017–18** में यदि कहीं पर व्यवस्थापित किया जाता है तो ठेकेदार को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। एवं ठेका संचालित अवधि तक की ही राशि देय होगी।

16. यह कि निविदाकर्त्ता को शासन/नगर पालिक निगम, रायपुर की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

17. निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर आयकर की टी.डी.एस. (TDS) टैक्स की राशि (ठेका राशि का 02 प्रतिशत) ठेका राशि के साथ ठेका राशि के अतिरिक्त एक मुश्त जमा कराना होगा।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर